न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–134/2008
CIS195/2018

ललन सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

सत्यदेव सिंह(मृत)उनके विधिक वारिसान एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

08.06.2022 उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहित के तहत दाखिल आवेदन के संबंध में प्रतिवादीगण के प्रत्युत्तर हेतु नियत है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर देने से इंकार किया गया तथा उभय पक्षों द्वारा आवेदन दिनांक 08.02.2022 एवं 11.04.2022 पर सुनवाई कर आदेश का निवेदन किया गया। उभय पक्षों को सुना गया।

आदेश

वादीगण की ओर से दिनांक 08.02.2022 को आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिस्थापन आवेदन दिया गया तथा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या–8 शारदा देवी की मृत्यु दिनांक 02.12.2021 को हो गई है तथा वह अपने पीछे आवेदन में वर्णित विधिक वारिसानों को छोड़ गई हैं। उनके विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाना आवश्यक है। अतः वादपत्र से मृतक का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाने की कृपा की जाय। दिनांक 11.04.2022 को वादीगण की ओर से आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन दिया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या–19 रामाशंकर सिंह की मृत्यु दिनांक 25.03.2022 को हो गई है। वह अपने पीछे आवेदन में वर्णित विधिक वारिसानों को छोड़कर मरे हैं। अतः मृतक का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाने की कृपा की जाय।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी द्वारा दाखिल दोनों आवेदनों का विरोध किया गया तथा दोनों आवेदनों को खारिज करने की मांग की गई।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या–8 एवं 19 दोनों की मृत्यु हो गई है तथा वे अपने पीछे आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को छोड़ गए हैं। वादीगण द्वारा आवेदनों के समर्थन में शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है तथा दोनों आवेदन विधिक समय सीमा के तहत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निस्तारण सभी पक्षकारों को सुनकर किया जाना चाहिए जिससे वाद की बहुलता उत्पन्न न हो। अतः न्याय हित में वादीगण का दोनों आवेदन स्वीकार किए जाते हैं तथा वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय सीमा के तहत आवश्यक कार्रवाई करें। अभिलेख अग्रिम कार्रवाई हेतु दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)